

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 2001
पौष 21, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार

आबकारी विभाग

संख्या 629 / शी०—प्र०प्र०
देहरादून, 11 जनवरी, 2001

अधिसूचना

सी० प० नि०—००१

उत्तर प्रदेश साकारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की घारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) की धारा 8 की उप धारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यालय अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित इने के दिनांक से किसी चीज़ी मिल का आव्याशी, राज्य के बाहर नियति के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा बेचे गये या संभरित किये गये किसी ब्रेणी के शीरे पर निम्नलिखित दरों से राज्य सरकार को प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करने के लिए दायी होगा।—

1. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीज़ी मिलों द्वारा उत्पादित शीरा, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आवारित रासायनिक उत्पादों द्वारा क्रय किये जाने पर।
2. अन्य प्रदेशों के शीरा आवारित उत्पादों द्वारा क्रय किये जाने पर।

5.00 रुपये (पाँच रुपये) प्रति कुंतल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

15.00 रुपये (पन्द्रह रुपये) प्रति कुंतल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

आज्ञा से,
सुमाष कुमार,
सचिव,
आबकारी,
उत्तरांचल शासन।

प्रैष्य 630 /शी 0 नी 0/2000-2001/उत्तरांचल,

४५

शुभ आबका री आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून।

आबका री विभाग

देहरादून: दिनांक: जनवरी 12, 2001.

विष्यः- शीरा वर्ष 2000-2001 के लिए नीति निर्धारण।

महोदय,

उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निकेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2000-2001 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्वय यह निर्णय लिया गया है कि:-

- 1- चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे में से 90 प्रतिशत शीरे को बिक्री हेतु नियंत्रण मुक्त रखा जाय तथा वर्तमान शीरा वर्ष में दिनांक 31 मार्च 2001 तक उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए आरक्षित रखा जाय।
- 2- शीरा वर्ष 2000-2001 में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे के 10 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात के लिये पूर्ण छूट रहेगी।
- 3- उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित राजायनिक उपोगों द्वारा क्रय किये जाने पर ₹ 5/- प्रति कुंटल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।
- 4- अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उपोगों द्वारा क्रय किये जाने पर ₹ 15/- प्रति कुंटल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

अतः उपरोक्त निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश

शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा १८४ की उपधारा १४ के विधानों के अन्तर्गत 10 प्रतिशत शीरे को 31 मार्च 2001 तक देशी मदिरा आपूर्ति आस्वनियों के लिये आरक्षित रखते हुए ऐसे 90 प्रतिशत शीरे की उपरोक्त नियंत्रण के लिये आरक्षित रखते हुए इसकी सम्मिलित है, नियंत्रण प्रकल्प बरते हुए आदेश रखित करने का कृष्ट करे।

सुभाष कुमार
मुख्यमंत्री

१८

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या १०६८४-७७
/प्राविधिक/शीरा नीति/2001-02/देहरादून; दिनांक: नवम्बर २२, 2001

समस्त अध्यासी,
चीनी मिलें,
उत्तरांचल।

विषय:- शीरे को प्रदेश के बाहर विक्रय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जैसाकि विदित ही है कि शासन स्तर पर शीरा वर्ष 2001-2002 की शीरा नीति विचाराधीन है, जो शीघ्र ही घोषित की जायेगी। एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि शीरा नीति घोषित होने तक प्रदेश के बाहर शीरे का निर्यात बिना आयुक्तालय की अनुमति के न किया जाये। प्रदेश में शीरे की बिक्री शीरा आधारित उद्योगों को पूर्ववत् की जा सकती है। शीरे का प्रदेश के बाहर निर्यात शीरा नीति घोषित होने के बाद ही, नीति के अनुरूप नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायें।

Ms. २५/।
(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

संख्या १०६९४-१०७१०
/प्राविधिक/शीरा नीति/2001-02/तददिनांक

प्रतिलिपि:-

- जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- समस्त उप आबकारी निरीक्षक चीनी मिलों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

Ms. २५/।
(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

८५

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून ।

संख्या १२२८८-९७
प्राविधिक/शीरा नीति/2001-02/देहरादून: दिनांक: जनवरी १५, २००२

समस्त अध्याशी,
चीनी मिले
उत्तरांचल ।

विषय:- शीर को प्रदेश के बाहर विक्रय करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश संख्या 10688-97/
प्राविधिक/शीरा-नीति/2001-02/देहरादून: दिनांक: नवम्बर 22, 2001 को तत्काल
प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा गत वर्ष 2000-01 की शीरा नीति में
उल्लिखित प्रदेश के बाहर शीर बिक्री की व्यवस्था यथावद रहेगी ।

— (चन्द्र सिंह)
आबकारी आयुक्त

उत्तरांचल ।

१२२९८-१२३१३

संख्या /प्राविधिक/शीरा नीति/2001-02/तदृदिनांक,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर ।
2. जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर ।
3. समस्त उम आबकारी निरीक्षक चीनी मिले उत्तरांचल को इस निर्देश के
साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

— (चन्द्र सिंह)
आबकारी आयुक्त

उत्तरांचल ।
१०.१.२००२

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्या 14380/शीरा-नीति(185)/2001-2002/देहरादून:दिनांक:फरवरी 19, 2002

आदेश

वर्ष 2001-2002 की शीरा नीति के सम्बन्ध में जारी इस कार्यालय के आदेश संख्या 1419/एस0टी0/शीरा-नीति (185)/2001-2002/देहरादून:दिनांक: जनवरी 16, 2002 के तारतम्य में उत्तरांचल स्थित चीनी मिलों से शीरे की बिक्री की स्थिति स्पष्ट करते हुये निम्न निर्देश दिये जाते हैः-

1. उत्तरांचल की चीनी मिलों द्वारा उत्तर प्रदेश में शीरे की आपूर्ति केवल शीरा आधारित रसायनिक उद्योगों को ही की जा सकेगी ।
2. गतवर्ष के लिये देशी मदिरा के लिये शीरे के आरक्षण के सापेक्ष जो शीरा 31.1.2002 तक प्रदेश की आसवनियों द्वारा नहीं उठाया गया है, उसे भी वर्ष 2001-2002 की नीति के संदर्भ में खुली बिक्री के कोटे में सम्मिलित कर लिया जाये ।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

19.2.2002

(चन्द्र सिंह)

शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,

16.2.2002 उत्तरांचल, देहरादून।

14381-14435

संख्या /शीरा-नीति(185)/2001-2002/देहरादून:दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आबकारी उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल ।
4. समस्त चीनी मिलों/आसवनियों, उत्तरांचल ।
5. समस्त उप/आबकारी निरीक्षक चीनी मिलों/आसवनियों, उत्तरांचल ।

19.2.2002
धीरेन्द्र वर्मा
संयुक्तआष्टमी आयुक्त
उत्तरांचल देहरादून।

18.2.2002

उत्तरांचल सरकार
आबकारी विभाग
संख्या २४/शी०-प्र०प्र०/ठ०/ ।।

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-24, सन् 1964) की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से किसी चीनी मिल का अध्याशी, राज्य के बाहर निर्यात के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा बेचे गये या संभरित किये गये किसी श्रेणी के शीरे पर निम्नलिखित दरों से राज्य सरकार को प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करने के लिए दायी होगा:-

1. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरा, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों द्वारा क्रय किये जाने पर।

2. अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा क्रय किये जाने पर।

5.00 रुपये (पाँच रुपये) प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

15.00 रुपये (पञ्चह रुपये) प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

आज्ञा से
चन्द्र सिंह
सचिव, आवकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या:- 131 /आब./01/2002-2003-टी.सी.

प्रेषक,

बी. सी. चन्दोला,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आवकारी आयुक्त,

उत्तरांचल, देहरादून।

आवकारी अनुभाग

देहरादून: दिनांक:: 11 फरवरी, 2003

विषय:- शीरा वर्ष 2002-03(1 नवम्बर, 2002 से 31 अक्टूबर, 2003) के लिए शीरा नीति का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1023/ आब./ 202/ 2002 दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2002-03 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि:-

1. शीरा वर्ष 2002-03में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे के 10 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी।
2. शीरा वर्ष 2002-03 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी मदिरा निर्माताओं को आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।
3. शेष 80 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/ अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा। चीनी मिलों द्वारा उत्पादित मदिरा हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत शीरे के नियमित उठान हेतु यह व्यवस्था की गयी है कि पेय मदिरा निर्माण करने वाली आसवनियाँ अपने निर्धारित एम. जी. क्यू. को प्रत्येक त्रैमास के कोटे के सापेक्ष शीरे की वांछित मात्रा को उसी अवधि में चीनी मिलों से उठान करेगी और यदि निर्धारित अवधि में आसवनियाँ अपने देशी मदिरा के कोटे के अनुरूप शीरे

2/19/2003
3/19/2003

की मात्रा का उठान नहीं करती है, तो उस अवशेष शोरे की मात्रा को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित घोषित किया जा सकेगा और इसे उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश के शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु अवमुक्त कर दिया जायेगा।

4. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्रिय किए जाने वाले शीरे पर देय प्रशासनिक शुल्क की वर्तमान प्रचलित दर रु. 5/= प्रति कुन्टल के स्थान पर रु. 8/= प्रति कुन्टल की दर से वसूल की जायेगी तथा अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा शीरा क्रय किए जाने पर वर्तमान प्रचलित दर रु. 15/= प्रति कुन्टल के स्थान पर 20/= प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।
5. शीरा वर्ष 2002-03 के लिए घोषित नीति अगले शीरा वर्ष में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि वर्ष 2003-04 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कृष्ण
11/2/2003
(बी. सी. चन्दोला)
कृष्ण सचिव।

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या: १६३ /आब./०१/२००३
देहरादून: दिनांक:: २१ फरवरी, २००३

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1964) (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 8 की उप धारा (4) के अधीन, शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि 01 नवम्बर, 2002 से राज्य की वर्ष 2003-2004 की शीरा नीति घोषित होने तक किसी चीनी मिल का अध्यासी राज्य के अन्दर (उत्तर प्रदेश) तथा राज्य के बाहर निर्यात के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा बेचे गये या संभरित किए गए किसी श्रेणी के शीरे पर निम्नलिखित दरों से राज्य सरकार को प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा:-

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों द्वारा क्रय किए जाने पर। | 8.00 रुपये (आठ रुपये)प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा। |
| 2. | अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा क्रय किए जाने पर। | 20.00 रुपये(बीस रुपये) प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा। |

आज्ञा से,

(बी. सी. चौधरी)

सचिव,

आबकारी, उत्तरांचल शासन।

लखा ५६४ अब / ०३ / २००३-०४

प्रेषक,

विपिन चन्द्र चन्दोला,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादून दिनांक ३। दिसंबर, २००३।

विषय— शीरा वर्ष 2003-04(०१ नवम्बर, 2003 से ३१ अक्टूबर, 2004 तक) के लिए शीरा नीति का प्रतिशत

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सुझ यह कहते हैं कि शीरा वर्ष 2003-04 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु इसाम द्वारा सम्बन्धित विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है—

1. शीरा वर्ष 2002-03 में प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे में ५० प्रतिशत अंश का प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट प्रदान कर दी जाय।
2. शीरा वर्ष 2003-04 में उत्पादित शीरे में से प्रत्येक चीनी मिल को उत्पादित शीरे के २० प्रतिशत अंश का प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी।
3. शीरा वर्ष 2003-04 में उत्पादित शीरे में से १० प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब नीतोंओं द्वारा पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आयूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।
4. शेष ७० प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/इंडोहल आधारित, राजायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा।
5. वर्ष 2003-04 के लिए शीरे से सम्बन्धित अन्य सभी इर्हे एवं प्रतिवर्ष शीरा वर्ष 2002-03 के अनुसार प्रदान की रहेगी तथा शीरा वर्ष 2003-04 के लिए दोषित नीति अवलो शीरा वर्ष में दरावल ५५ लक्ष प्रभावी रहेगी जब तक कि वर्ष 2004-05 के लिए शीरा नीति घोषित नहीं कर दी जाती है।
कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुगाम फ़ाइ से सुनिश्चित करने का कार्य करें।

भवदीय,

(विपिन चन्द्र चन्दोल)

सचिव।

प्रेषक

बिपिन चन्द्र चन्दोला
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादून: दिनांक: ११ मार्च, २००५

विषय: शीरा वर्ष 2004-05 (०१ नवम्बर, 2004 से ३१ अक्टूबर, 2005 तक) के लिए
शीरा नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का
निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2004-05 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के
सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया
गया है—

- 1— शीरा वर्ष 2004-05 में उत्पादित शीरें में से प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा
उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेंगी।
- 2— शीरा वर्ष 2004-05 में उत्पादित शीरें में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के
देशी शराब निर्माताओं को पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा
जायेगा।
- 3— शीरा वर्ष 2004-05 में उत्पादित शेष 70 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाईयों
एवं उत्तर प्रदेश की शीरा / अल्कोहल आधारित रसायनिक उद्योगों को बिक्री
हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 4— शीरा वर्ष 2004-05 के लिए शीरा से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध शीरा

क्रमशः पेज.....2/-

⇒ १८ (P.D)

— १८ —
— १८ —


— 2 —

वर्ष 2003-04 के अनुसार प्रभावी रहेगी तथा शीरा वर्ष 2004-05 के लिए घोषित नीति अगले शीरा वर्ष में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि शीरा वर्ष 2005-06 के लिए शीरा नीति घोषित नहीं कर दी जाती है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

5/3/2005
 (बिपिन चन्द्र चन्दोला)
 सचिव ।



संख्या- ३७ /XXIII / ०६ / ८७ / २००५

नवीन यान्द शर्मा,
दहरांकिप,
उत्तरांचल शासन ।

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून।

आष्टकारी अनुभाग

देहरादून: दिनांक :: 27 जनवरी, 2006

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि शीरा वर्ष 2005-06 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में
नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि-

1- गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2005-06 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब निर्माताओं को पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।

2- गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2005-06 में भी प्रत्येक चीनी मिल को उनके हारा उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी।

3- गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2005-06 में भी कुल उत्पादित शीरे का 70 प्रतिशत भाग उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्पोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिकी हेतु उपलब्ध रहेगा।

4- उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित दैनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा
उत्तरांचल के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित
रासायनिक उद्योगों को बिक्रय किये जाने वाले शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की

ପ୍ରତିକାଳି
ଦୁଇମାତ୍ର
ହୃଦୀ-ହୃଦୟାବ୍ଲୋକ
ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ର
ଲୋଚନାବ୍ଲୋକ
ଶ୍ଵରାବ୍ଲୋକ
ଶ୍ଵରାବ୍ଲୋକ



वर्तमान प्रचलित दर ₹0 8/- मात्र प्रति कुन्टल के स्थान पर ₹0 11/- मात्र प्रति कुन्टल की दर से वसूल की जायेगी तथा अन्य प्रदेश के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा शीरा क्य किये जाने पर वर्तमान प्रचलित दर ₹0 20/- मात्र प्रति कुन्टल के स्थान पर ₹0 15/- मात्र प्रति कुन्टल की की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

5- प्रदेश में उत्पादित निर्यात मद का शीरा चीनी मिलें अगले शीरा वर्ष के माह जनवरी तक बेचने में यदि असफल रहती है तो इस मद के शीरे को प्रदेश के रासायनिक उद्योगों को दिया जा सकेगा, जिस पर प्रशासनिक प्रभार ₹0 11/- मात्र की दर से ही देय होगा।

6- शीरा वर्ष 2005-06 के लिए घोषित नीति से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध शीरा वर्ष 2004-05 के अनुसार प्रभावी रहेंगे तथा अगले शीरा वर्ष में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2006-07 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(नवीन चन्द्र शर्मा)
 सचिव।

संख्या-२०/XXIII/06/87/2005

गोविन्द बल्लभ ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून।

आबकारी अनुभाग

विषय— शीरा वर्ष 2005-06 (01 नवम्बर, 2005 से 31 अक्टूबर, 2006 तक) के
लिए शीरा नीति का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2006 के क्रम में मुझे यह
कहने का निदेश हुआ है कि शीरा नीति वर्ष 2005-06 के लिए जारी शासनादेश
संख्या- 139/ XXIII/06/87/2005, दिनांक 27.01.2006 में की गई
व्यवस्थानुसार स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है—

- 1— शीरा वर्ष 2004-05 का शासनादेश दिनांक 11.03.2005 को जारी हुई थी, के
बिन्दु-4 में यह व्यवस्था थी कि अगले शीरा वर्ष में यथावत् तब तक रहेगी,
जब तक कि वर्ष 2005-06 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती
है।
- 2— शीरा वर्ष 2005-06 के लिए घोषित शीरा नीति का शासनादेश जारी होने के
दिनांक से प्रभावी होगा।
- 3— शीरा वर्ष 2005-06 के प्रस्तर-5 में यह व्यवस्था है कि प्रदेश में उत्पादित
निर्यात मद का शीरा चीनी मिले अगले शीरा वर्ष के माह जनवरी तक बेचेने में
यदि असफल रहती हैं तो इस मद के शीरे को प्रदेश के रासायनिक उद्योगों
को दिया जा सकेगा, जिस पर प्रशासनिक प्रभार ₹0 11/- मात्र की दर से
ही देय होगा। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उल्लेख करना है कि
अगले शीरा वर्ष का आशय शीरा वर्ष 2006-07 से है और शीरा वर्ष 2005-06
का शासनादेश ही दिनांक 27 जनवरी, 2006 को जारी किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार पुनः आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
d.b.

(गोविन्द बल्लभ ओली)
संयुक्त सचिव।

23.2.2006
क्र. ० वी० जौहरी
शारी बपर आबकारी बायुक्त
देहरादून, देहरादून

(P.M)

अवलोक्य

DECS/AECS

१९८ प्रेषक,
१००३०१

हरिशचन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादून: दिनांक: ०५ जनवरी, 2007।

विषय :— शीरा वर्ष 2006—07 के लिए शीरा नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2006—07 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

1. शीरा वर्ष 2006—07 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब निर्माताओं को आपूर्ति हेतु पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आरक्षित रखा जायेगा।
2. वर्ष 2006—07 में प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट होगी।
3. गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2006—07 में भी कुल उत्पादित शीरे का 70 प्रतिशत भाग उत्तरांचल की औद्योगिक एवं रासायनिक इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा / अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा।
4. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्रय किये जाने वाले शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की वर्तमान प्रचलित दर ₹ 0.11/- मात्र प्रति कुन्टल की दर से ही वसूल की जायेगी तथा अन्य प्रदेश के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा शीरा क्य किये जाने पर वर्तमान प्रचलित दर ₹ 0.15/- मात्र प्रति कुन्टल की दर से ही प्रशासनिक शुल्क प्रभार देय होगा।
5. यदि आसवनियों द्वारा एक माह के अन्दर चीनी मिलों से शीरा नहीं उठाया जाता है तो निर्धारित समय के उपरान्त चीनी मिलों को यह अधिकार दे दिया जायेगा कि वे ऐसे शीरे को खुले बाजार में बेचने हेतु स्वतंत्र होंगे।

सुन्दरी (P)
ताकल
प्रभागी
प्रतिनिधि
9.1.06
उपरान्त उत्पादित शीरा
जाकी बाजार
को.
9.1.06
(दा. ० के बी. ० जौहरी)

6. शीरा वर्ष 2006-07 के लिए घोषित शीरा नीति, शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।
7. शीरा नीति 2006-07 के लिए घोषित नीति से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध शीरा वर्ष 2005-06 के अनुसार प्रभावी रहेगें तथा अगले शीरा वर्ष 2007-08 में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगीं, जब तक कि वर्ष 2007-08 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

भवदीय,

 ५/१०७
(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या: ०१ / XXIII / ०७ / ५३ / २००७
देहरादून: दिनांक: १३.०२.२००८

कार्यालय ज्ञाप

मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपाल संख्या: 4466 ऑफ 2007 मे० धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक: 24.09.2007 के अनुपालन मे० उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 (उत्तराखण्ड में रूपान्तरित एवं अनुकूलित) की धारा ३ में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए एतदद्वारा शीरा परामर्श समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :—

01.	आबकारी आयुक्त (नियंत्रक)	अध्यक्ष
02.	उप आबकारी आयुक्त, शीरा	पदेन सदस्य
03.	उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से निम्न न हो	पदेन सदस्य
04.	गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप आयुक्त स्तर से निम्न न हो	पदेन सदस्य
05.	श्री एस०एम०मित्तल, मै० राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्सर, जनपद—हरिद्वार	सदस्य
06.	श्री एस० क० भटनागर, वाईस प्रेसीडेन्ट, मै० काशीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, काशीपुर, जनपद—उधमसिंहनगर	सदस्य
07.	श्री उमराव सिंह, मैनेजिंग डाइरेक्टर, मै० लक्ष्मी शुगर मिल्स लिमिटेड, इकबालपुर, जनपद—हरिद्वार	सदस्य
08.	श्री रामेश्वर हवेलिया, मै० दूनवैली आसवनी, देहरादून	सदस्य
09.	श्री आई० बी० लाल, मै० इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड काशीपुर, जनपद—उधमसिंहनगर	सदस्य
10.	श्री सी०एम० शर्मा, लाईजेनिंग मैनेजर, मै० इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, काशीपुर, जनपद—उधमसिंहनगर	सदस्य
11.	श्री योगेश लोहिया, डाइरेक्टर, मै० जंगदम्बा लिक्यूफाईड स्टील लिमिटेड, रायपुर (भगवानपुर), रुड़की, जनपद—हरिद्वार	सदस्य
12.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड	पदेन सदस्य
13.	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, जनरल मैनेजर, ऑचल कैटिल फीड, फैक्ट्री, किंच्छा वाई पास रोड, रुद्रपुर, जनपद—उधमसिंहनगर	सदस्य

2. समिति द्वारा शीरा नीति को सफल बनाये जाने हेतु विगत अनुभवों व वर्तमान परिस्थितियों के

कारी अयुक्तप सुझाव दिये जायेगें।।
उत्तराखण्ड
हुड़दाल

(डा० रणधार सह)

संख्या: ०१ / XXIII(1) / ०७/११/२००७ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समिति के सभी सदस्य।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस० एस० डुगरियाल)

अनु सचिव